

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2209

दिनांक :- 10/8/18

आदेश संख्या : 176/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 में दिनांक 13/08/2018 से 05/10/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 13/08/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिंक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अर्चना चौधरी - [12347] साहब सिंह चौधरी, 19/07/1993, 2110/2013	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद (एक्स काडर), जयपुर
2	अर्चना यादव - [12380] बद्रीनारायण यादव, 24/08/1993, 2160/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आंधी, जयपुर
3	आशीष कुमार पारीक - [12202] हनुमान सहाय पारीक, 01/07/1979, 1847/2013	निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
4	आशीष सोनी - [10377] महेन्द्र कुमार सोनी, 29/06/1992, 433/2013	कोषाधिकारी (ई-कोषालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
5	अशोक कुमार शर्मा - [10348] मोती राम शर्मा, 02/05/1993, 382/2013	कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
6	अविनाश कुमार बैरवा - [10127] कमलेश कुमार बैरवा, 10/03/1992, 2288/2013	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर
7	बबिता - [10859] रामदेव राम, 05/08/1988, 2475/2013	सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), सीकर
8	छाया - [12855] देवेन्द्र कुमार, 05/06/1984, 2838/2013	न्यायाधीश, गैर शिक्षा न्यायाधिकरण, शिक्षा विभाग (माध्यमिक), जयपुर
9	डिम्पल शर्मा - [12340] गोकुल चंद शर्मा, 17/07/1989, 2093/2013	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद (एक्स काडर), जयपुर
10	ज्योति वर्मा - [12727] हीरा लाल वर्मा, 02/08/1991, 2689/2013	निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एक्स काडर), जयपुर
11	खुशबू अग्रवाल - [10760] कैलाश चंद अग्रवाल, 19/02/1990, 1935/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
12	खुशबू जांगिड - [12593] रामवतार जांगिड, 20/02/1993, 2588/2013	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग, जयपुर
13	महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल - [9856] दीनदयाल खण्डेलवाल, 24/01/1989, 773/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, करौली
14	महेन्द्र सिंह - [11109] विशाल सिंह, 01/07/1989, 616/2013	परियोजना निदेशक, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर

15	मनीष कुमार शर्मा - [12815] सुरेश चन्द्र शर्मा, 25/07/1985, 3028/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, केकड़ी, अजमेर
16	मनमोहन शर्मा - [10149] अशोक कुमार शर्मा, 07/12/1990, 2551/2013	निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर
17	नंदू मेघवाल - [12358] सुखदेव राम, 03/10/1994, 2791/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाजावास, नागौर
18	नरेश वर्मा - [12540] हीरा लाल वर्मा, 26/01/1991, 2481/2013	निदेशक राज्य पुलिस अकादमी, गृह विभाग, जयपुर
19	नवल किशोर मौर्य - [12244] नंद लाल मौर्य, 26/12/1988, 2291/2013	वित्त (व्यय-IV) विभाग, सचिवालय, जयपुर
20	नवीन कुमार खाण्डल - [12670] शिव चरण शर्मा, 25/04/1982, 614/2013	सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एक्स काडर), जयपुर
21	निर्मला चौधरी - [10647] मोदान सिंह चौधरी, 07/05/1989, 1755/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मसूदा, अजमेर
22	प्रदीप कुमार सांखला - [10681] सुरेंद्र सिंह सांखला, 02/08/1974, 2854/2013	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर
23	रविन्द्र कुमार मीणा - [12267] बाबु लाल मीणा, 07/06/1992, 2367/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, मण्डरायल, करौली
24	रेनू शर्मा - [11692] राजेंद्र कुमार शर्मा, 06/04/1988, 1005/2013	उप कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
25	संजीव बन गोस्वामी - [12553] बाबूलाल गोस्वामी, 15/03/1987, 2516/2013	पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एमवी), गृह विभाग, जयपुर
26	सौरभ सिंघल - [9988] पवन कुमार सिंघल, 01/01/1992, 216/2013	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रूपवास, भरतपुर
27	सीमा बाबाल - [10724] भिमसिंह बाबाल, 05/03/1989, 1450/2013	पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर
28	सुल्तान सिंह मीणा - [10093] राम सिंह मीणा, 10/04/1988, 1897/2013	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर
29	विजय लक्ष्मी सामरिया - [12431] ओम प्रकाश सामरिया, 23/10/1989, 3180/2013	निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर
30	विकास चोकडायत - [12289] कल्याण सहाय चोकडायत, 10/05/1987, 1991/2013	महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम मुख्यालय (एक्स काडर), जयपुर

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 6, 7, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 28 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्चे पर (बिना टीए/डीए) किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2209

दिनांक :- 10/8/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

